जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: प 13(70)जविप्रा/जांच/2015 / 3295 - 3425 दिनांक 6.10.15

-: कार्यालय आदेश :-

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प 12(1)नविवि/07/पार्ट जयपुर दिनांक 27.09.2012 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 4783/2003 सुओमोटो बनाम राज्य सरकार व अन्य, 513/2004 सुओमोटो बनाम महानिदेशक पुलिस एवं अन्य, 21/2004 सुओमोटो बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं 7307/2003 महेन्द्र पाल सिंह बनाम जयपुर नगर निगम, जो कि जयपुर शहर के नागरिकों को अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए जन सुविधाएँ प्रदान करने से संबंधित थी, में दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 को पारित किये गये आदेश में अन्य निर्देशों के साथ साथ बिन्दु संख्या 9 के उप बिन्दु 9 में निम्न निर्देश भी पालना हेतु दिये गये थे:

In case an unauthorized construction or encroachment takes place and illegal housing colony or commercial enterprise is set up, in an area falling under the jurisdiction of the Jaipur Development Authority, the Jaipur Municipal Corporation or the Rajasthan Housing Board the concerned Enforcement Officer/ Inspector/ Deputy Commissioner/Zonal Officer shall be responsible. In the ACR of the defaulting Officer specific entry shall be made to the effect that during his posting in the area unauthorized construction or encroachment took place or an illegal colony was set up or an illegal commercial enterprise was established in a residential area or an area which was not meant for commercial activity. This entry shall be treated as an adverse entry and shall be kept in view at the time of considering the case of the officer for promotion or selection. That apart, the Appointing Authority shall initiate departmental action against him. Members of the Monitoring Committee and the Appointing Authority of the officer shall be duty-bound to move an application for initiation of proceedings for contempt of court against the defaulting officer.

अतः प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 27.09.12 की अनुपालना में जयपुर विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण रोकने हेतु उत्तरदायी अधिकारी यथा मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), उप नियन्त्रक(प्रवर्तन), प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक एवं क्षेत्र सहायक के संबंध में प्रतिवेदक/ समीक्षक/ स्वीकारकर्ता अधिकारियों द्वारा उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में प्रतिकूल प्रविष्ठियाँ अंकित करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(शिखर अग्रवाल),
आयुक्त,
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

(1) निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जविप्रा, जयपुर।
(2) निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
(3) निदेशक(अभियांत्रिकी प्रथम/द्वितीय/आयोजना/विधि/वित्त), जविप्रा, जयपुर।
(4) निजी सचिव, वन संरक्षक, जविप्रा, जयपुर।
(5) अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पीआरएन/पुनर्वास/एलपीसी/भूमि एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।
(6) संयुक्त आयुक्त(संस्थागत विकास एवं समन्वय/सिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर।
(7) अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(बीपीसी/एमपी), जविप्रा, जयपुर।
(8) समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता....., जविप्रा, जयपुर।
(9) मुख्य नियंत्रक(प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
(10) समस्त अधीक्षण अभियन्तागण ..... जविप्रा, जयपुर।

(11) समस्त वरिष्ठ नगर नियोजकगण ...., जविप्रा, जयपुर।

(12) अति.निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।

(13) विशेषाधिकारी(आर.एम./कार्मिक/जांच), जविप्रा, जयपुर।

(14) संयुक्त पंजीयक(सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।

(15) समस्त उपायुक्तगण जोन 1 से 19/वाहन/स्टोर/प्रशासन/रेकार्ड/आरएजी/पीपीसी/जांच/कोर्ट केसेज, जविप्रा, जयपुर।

(16) उप निदेशक(प्रोजेक्ट एवं ऑडिट/व्यय एवं बजट), जविप्रा, जयपुर।

(17) समस्त अधिशाषी अभियन्तागण ...., जविप्रा, जयपुर।

(18) उद्यानविज्ञ, जविप्रा, जयपुर।

(19) सिस्टम मैनेजमेन्ट, जविप्रा, जयपुर।

(20) वरिष्ठ लेखाधिकारी(भुगतान/आरसीआर/पेंशन), जविप्रा, जयपुर।

(21) विशेषाधिकारी(जनसम्पर्क), जविप्रा, जयपुर।

(22) प्रभारी अधिकारी, नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर।

(23) रक्षी पत्रावली।

(पवन अरोड़ा),
सचिव,
जविप्रा, जयपुर।